नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2016 पार्ट जयपुर दिनांक 4 JAN 2018

सचिव,
नगर विकास न्यास,
पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौडगढ/सवाईमाधोपुर

आयुक्त,
नगर परिषद,
पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौडगढ/सवाईमाधोपुर

विषय :- पूर्व में अनिस्तारित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध मे।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 30.10.2017 को अधिक्रमित करते हुए निर्देशानुसार लेख है कि

1. नगर परिषदों द्वारा दिनांक 30.09.2017 तक अनुमोदित ले-आउट प्लान के प्रकरणों में नगर परिषद सीमा में स्थित भूखण्डों के पट्टे नगर परिषद द्वारा जारी किये जायेगें तथा नगर परिषद सीमा से बाहर स्थित क्षेत्र में पट्टे नगर विकास न्यास द्वारा जारी किये जायेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई राशि नगर परिषद में जमा करा दी गयी है तो नगर विकास न्यास द्वारा उसकी पुष्टि कर उसका समायोजन आवेदक को जारी किये जाने वाले मांग पत्र में कर दिया जायेगा।
2. दिनांक 30.09.2017 के पश्चात् अनुमोदित हुए ले-आउट प्लान अथवा नवीन प्रकरणों में पट्टे जारी करने का कार्य नगर विकास न्यास द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थन जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव,नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय